संख्या–107सी0एस0/कृषि/03/रिट–2(2)02

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तरांचल ।
कृषि एंव कृषि विपणन अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 03 जनवरी,2004

विषय– पंचायती राज व्यवस्था प्रबन्धन के अन्तर्गत कृषि विभाग के कार्यो एंव वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

महोदय,

सविधान के 73 वें एंव 74 संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के लिए जन सामान्य के लाभ एंव विकास की योजनाओं के नियोजन को जनोन्मुखी एंव सार्थक कियान्वयन हेतु जन सहभागिता आवश्यक है। अतः विकास कार्यो में सकिय जन सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ एंव प्रभावी बनाने का संकल्प लिया है । ग्राम पंचायत को विकास की मौलिक तथा सक्षम इकाई के रूप में विकसित करने हेतु जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर, ग्राम स्तरीय प्रशासनिक इकाई को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी बनाना एवं इनके विकास संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए वांछित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। इसी आधार पर कृषि विभाग के वित्तीय/कार्यकारी और कार्मिकों पर पूर्ण नियन्त्रण त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

2– ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों को सम्पादित करने एवं जनता के प्रति पूर्ण जवाबदेही बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग से सम्बद्ध कर्मी पंचायत व्यवस्था के सक्षम स्तर के अधीन कार्यरत रहें। पंचायत व्यवस्था का विभाग के अनुरूप तकनीकी विषयों पर नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण बनाये रखने से जहां एक ओर ग्रामों में रह रही जनता की आकांक्षाऐं पूर्ण करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था की नीतिगत एकरूपता और तकनीकी बिन्दुओं पर परिपक्वता बनी रहेगी। विकेन्द्रीकरण और जनसहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिये विभाग के कर्मचारियों को पंचायतराज व्यवस्था के अधीन रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग से संबंधित कार्यो का सम्पादन ,नियंत्रण तथा वित्तीय एंव प्रशासनिक अधिकारों /दायित्वों का प्रतिनिधायन जिला स्तर/क्षेत्र पंचायत स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर निम्न मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा जिला स्तरीय /क्षेत्र पंचांयत स्तरीय /ग्राम पंचायत स्तरीय कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी(परिशिष्ट–1) तद्नुसार ही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत कार्यों को संपादित करायेंगे तथा विभाग के साथ–साथ पंचायत व्यवस्था के प्रति भी उत्तरदायी होगें।

1. <u>जिला पंचायत स्तर पर :</u>

<u>वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन</u>

1. जिला योजना के बजट का नियंत्रण तथा आंवटित बजट का उपयोग की प्रगति तथा समीक्षा सुनिश्चित कराना ।
2. विभागीय भवनों के निर्माण,रखरखाव एवं संचालन के संबंध में जिला पंचायत को वित्तीय अधिकारों का दिया जाना ।
3. क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों में व्यय हेतु धनराशि मात्राकृत कराना ।
4. जिला स्तर पर जिला योजना की प्राविधानित धनराशि में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित मानक अनुसार धनराशि उपलब्ध कराना।

<u>प्रशासनिक नियंत्रण</u>

1. जिला पंचायत अध्यक्ष जिले के मुख्य कृषि अधिकारी का ,उनके वार्षिक कार्यो का मूल्यांकन एंव समीक्षा के आधार पर वार्षिक प्रविष्टि हेतु अपना मंतव्य मंडलीय सयुंक्त निदेशक कृषि को भेजेगें, जो उसे यथावत चरित्र पंजिका पर रखेगें तथा उस मत का प्रविष्टि में समावेश करेगें।
2. मुख्य कृषि अधिकारी के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं भ्रमण के अनुमोदन का अधिकार होगा ।
3. मुख्य कृषि अधिकारी के अर्जित /चिकित्सा अवकाश हेतु सक्षम अधिकारी को संस्तुति भेजे जाने का अधिकार होगा ।

03010400l·Pdf